रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062025-263681
CG-DL-E-09062025-263681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2453] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947
No. 2453] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

का.आ. 2512(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, अंदमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

क्रं.सं.	सदस्य	प्रास्थिति
1.	मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन	अध्यक्ष, पदेन
2.	आयुक्त-सह-सचिव (राजस्व) या प्रधान सचिव (राजस्व), अंदमान और निकोबार प्रशासन या उनके नामनिर्देशिती	सदस्य, पदेन
3.	आयुक्त-सह-सचिव (पर्यावरण और वन) या प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन), अंदमान और निकोबार प्रशासन या उनके नामनिर्देशिती	सदस्य, पदेन
4.	सचिव (शहरी विकास), अंदमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य, पदेन

5.	सचिव (मत्स्य पालन), अंदमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य, पदेन
6.	डॉ. लालजी सिंह, अपर निदेशक (वैज्ञानिक 'एफ') और प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, अंदमान और निकोबार प्रादेशिक केंद्र, श्री विजय पुरम	सदस्य
7.	डॉ. बालाजी एस., तटीय आपदा प्रबंधन विभाग, पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय।	सदस्य
8	प्रमुख, अंदमान और निकोबार पर्यावरण टीम, श्री विजय पुरम	सदस्य (गैर-सरकारी संगठन)
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन मंजूरी और तटीय विनियमन क्षेत्र), पर्यावरण और वन विभाग	सदस्य-सचिव, पदेन ;

2. प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर, अंदमान और निकोबार में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, प्राधिकरण की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से होगी ।

4. किसी पदेन सदस्य से भिन्न, किसी सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिश्चित किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार भत्तों का संदाय किया जाएगा ।

5. हित के किसी टकराव से बचने के लिए, अध्यक्ष और सदस्य, किसी ऐसी परियोजना, जिसके लिए उन्होंने परामर्श कार्य संबंधी सेवा दी है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को दूर रखेंगे ।

6. प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र में तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की संरक्षा और उसका सुधार करने और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, उसका उपशमन करने तथा नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(i) परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त आवेदन की, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 20(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 और अधिसूचना संख्या का. आ. 1242(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 के अधीन तैयार अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार, जांच करेगा और उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकरण को परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना । उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदित द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र योजना या एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के अनुसार अंदमान और निकोबार द्वीप में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना ;

(ii) भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 4650(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना;

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना ;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ;

(v) द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र योजना या एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना में परिवर्तन या उपांतरण के लिए अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र में सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा और उन पर केंद्रीय सरकार को, विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ;

(vi) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कथित उल्लंघन की जांच और पुनर्विलोकन करना ;

(vii) उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों की, स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि, निकाय या संगठन द्वारा उसके समक्ष की गई शिकायत के आधार पर, जांच और पुनर्विलोकन करना ।

7. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा ।

8. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में, पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा, अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी इस पर डालेगा, जिसके अंतर्गत उसकी बैठक में कार्यसूची, बैठक का कार्यवृत्त, बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन पर मामलों के लिए सिफ़ारिशें और ऐसे उल्लंघन पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले, जिनमें न्यायालयों के आदेश भी हैं, और अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र का अनुमोदित द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र योजना या एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना भी है ।

9. प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए-III(भाग-IV)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2025

S.O. 2512(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

Sl.No	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Secretary Andaman and Nicobar Administration	Chairperson, *ex-officio*
2.	Commissioner-cum-Secretary (Revenue) or Principal Secretary (Revenue), Andaman and Nicobar Administration or their nominee	Member, *ex-officio*
3.	Commissioner –cum-Secretary (Environment and Forests) or Principal Secretary (Environment and Forests), Andaman and Nicobar Administration or their nominee	Member, *ex-officio*
4.	Secretary (Urban Development), Andaman and Nicobar Administration	Member, *ex-officio*
5.	Secretary (Fisheries) Andaman and Nicobar Administration	Member, *ex-officio*
6.	Dr. Lalji Singh, Additional Director (Scientist 'F') and Head, Botanical Survey of India, Andaman and Nicobar Regional Centre, Sri Vijaya Puram	Member
7.	Dr. Balaji S., Dept. of Coastal Disaster Management, Pondicherry University.	Member
8.	Head, Andaman and Nicobar Environment Team, Sri Vijaya Puram	Member (Non-Government Organisation)
9.	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Clearance and Coastal Regulation Zone), Department of Environment and Forests	Member Secretary, *ex-officio*

2. The Headquarter of the Authority shall be at Port Blair, Andaman and Nicobar.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members of the Authority.

4. A Member, other than member *ex officio*, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government in this behalf.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Chairman and Member shall recuse himself from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Union territory of Andaman and Nicobar, namely: -

(i) examination of proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Island Coastal Regulation Zone Plan or Integrated Islands Management Plan as applicable under the notifications of the Government of India number S. O. 20 (E) dated the 6th January, 2011 and S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 and make recommendations for approval of project to the concerned authority, as specified in the said notifications. Regulate all developmental activities in the Andaman and Nicobar island in accordance with approved Island Coastal Regulation Zone Plan or Integrated Islands Management Plan as specified in the said notification;

(ii) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(iii) exercise powers under section 10 of the said act;

(iv) file complaint under section 19 of the said Act;

(v) examination of proposals received from the Union territory of Andaman and Nicobar for changes or modifications in the Island Coastal Regulation Zone Plan or Integrated Islands Management Plan and make specific recommendations thereon, to the Central Government;

(vi) inquire and review the cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and

(vii) inquire and review the cases of violation or contravention of the said notification *suo-moto* or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation before it;

7. The Authority shall be responsible for enforcement and monitoring of the implementation of the provisions of the said notification.

8. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website, post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on violation, contravention of the said notification, action taken on such violation, court matter including the order of the court and the approved Island Coastal Regulation Zone Plan or Integrated Islands Management Plan of the Union territory of Andaman and Nicobar Island.

9. The Authority shall furnish report of its activity once in six months to the Central Government.

[F. No. 12-5/2005-IA.III (Vol.IV)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.06.09 21:37:07 +05'30'